

श्रीमती लताम भूमिधारी

इमराम

मु. नं. - 127/20

हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

तारीख हुकम

व निर्णय की पालना जरिये नामान्तरण संख्या 1065 दिनांक 18-10-20 6/4/2021 के द्वारा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जा चुका है। प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही विचाराधीन नहीं है। अतः प्रकरण को इसी स्तर पर राष्ट्रीय लोक अदालत में लोक अदालत की भावना से फैसल किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल इफतर हो।

12/3/2022

राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रकरण प्राप्त हुआ
 कर्ताकार अनुपम रिशत उप/अनु/प्रकरण
 नियमित न्यायालय में आगामी दिनांक 30-3-2022
 को प्रस्तुत है।

दिलीप सिंह
 सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
 श्रीमाधोपुर (रीकर)

अध्यक्ष
 लोक अदालत नैच
 लघुहस्ताक्षर समिति

30.03.2022

पत्रावली आज पेश हुई। वकील डिक्रीदार उपस्थित। प्रकरण में तहसीलदार (भू.अ.) श्रीमाधोपुर ने जरिये पत्रांक 442/भू. अभि./22 दिनांक 18.02.2022 के द्वारा अवगत कराया है कि न्यायालय द्वारा पारित डिक्री व निर्णय की पालना जरिये नामान्तरण संख्या 1065 दिनांक 06.04.2021 के द्वारा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जा चुका है। प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही विचाराधीन नहीं है। अतः प्रकरण को इसी स्तर पर फैसल किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।